संख्या-119 /2021/ 3040 /26-3-2021-4(358)/07 टी.सी.।।।

प्रेषक,

के0 **रविन्द्र नायक**,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **निदेशक**, **समाज कल्याण**, **उ**0**प्र**0 **लखनऊ।**

2- **निदेशक**, **जनजाति विकास**, **उ**0**प्र**0 **लखनऊ।**

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 19 अक्टूबर** 2021

विषयः **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-**2021-22 **में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा** 11-12 **एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने**, **सत्यापन**, **लाक करने एवं छात्रों के आनलाइन आवेदन हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, **समाज कल्याण के पत्रांक-1591/स0क0/शिक्षा-अ/7/52/2021-21**, **दिनांक-18.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें**, **जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-**2021-22 **में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा** 11-12 **एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने**, **सत्यापन**, **लाक करने एवं छात्रों के आनलाइन आवेदन हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।**

2- **निदेशक**, **समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या-**116/2021/2891/26-3-2021-4(358)/07 **टी**0**सी**0-**।।। दिनांक** 08-10-2021 **द्वारा निर्गत समय-सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः-**

क्र0 **सं**0	**प्रक्रियात्मक कार्यवाही**	**निर्धारित समयावधि कक्षा** 11-12 **एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (**2021-22)	**संशोधित समयावधि कक्षा** 11-12 **एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (**2021-22)
1	**2**	**3**	**4**
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना**,** जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/ अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम**,** पाठ्यक्रम का प्रकार**,** पाठ्यक्रवार कुल सीटों की संख्या**,** सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क**,** पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये)**,** पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/ अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	17 सितम्बर 2021 से 27 सितम्बर 2021 तक	19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 2021 तक
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (**Govt**) व शासकीय सहायता (**Govt**	17 सितम्बर 2021 से 27 सितम्बर 2021 तक	19 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 2021 तक

	Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश, 3-प्राग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना।		
1बी	योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।	17 सितम्बर 2021 से 30 सितम्बर 2021 तक	19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 2021 तक
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	28 सितम्बर 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक	22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2021 तक
2ए	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करना।	12 अक्टूबर 2021 से 29 अक्टूबर 2021 तक	09 नवम्बर, 2021 तक
2बी	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।	01 अक्टूबर 2021 से 29 अक्टूबर 2021 तक	09 नवम्बर, 2021 तक
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा	12 अक्टूबर 2021 से 29	09 नवम्बर, 2021 तक

	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण (विश्वविद्यालय/अफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा लॉक की गयी सीट संख्या एवं फीस से अधिक लॉक न की जाय) आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना।	अक्टूबर 2021 तक	
कक्षा 11-12 **एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन** (Fresh) **एवं नवीनीकरण के अवशेष** (Renewal) **छात्र/छात्राओं हेतु**			
04	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	21 अक्टूबर 2021 तक	25 अक्टूबर 2021 तक
05	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व दो कार्य दिवसों में।
06	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	25 अक्टूबर 2021 तक	27 अक्टूबर 2021 तक
07	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	28 अक्टूबर 2021 तक	28 अक्टूबर 2021 तक

नोटः- शासनादेश संख्या-116/2021/2891/26-3-2021-4(358)/07 टी0सी0-।।। दिनांक 08-10-2021 एवं शासनादेश संख्या-106/2021/2666/26-3-2021-4(358)/07 टी0सी0-।।।, दिनांक-16-09-2021द्वारा जारी पूर्व समय-सारिणी की अन्य तिथियां एवं निर्देश यथावत् रहेंगे।

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानां के अनुसार शैक्षिक सत्र 2021-22 में दशमोत्तर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

पृ**0**सं**0-119**/2021/ 3040 (1)/26-3-2021 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।